न्यायालय जिला कलक्टर , फलोदी

पीठासीन अधिकारीः— श्री हरजी लाल अटल (आई.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. :— 28 / 2024

अपीलांटगणगण	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. रामलाल पुत्र श्री डेमाराम 2. धन्नाराम पुत्र श्री डेमाराम दोनो जाति विश्नोई, निवीस जम्भसागर, भींयासर, तहसील फलौदी, जिला फलौदी		1. राजस्थान राज्य जरिये, तहसीलदार फलौदी 2. श्रीमति नैनी पत्नि श्री बंशीलाल 3. श्रवणकुमार पुत्र श्री बंशीलाल 4. सुनिल पुत्र श्री बंशीलाल सभी जाति विश्नोई, निवासी जम्भसागर, भींयासर तहसील फलौदी, जिला जोधपुर राज. 5. राजकीय प्रा.वि.ईश्वरवाल डारा पुनियों की ढाणी, भींयासर जरिये प्रधानाध्यापक।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम बविरूद्व आदेश श्रीमान तहसीलदार फलौदी क्रमांक / भू.अ. / 07 / आपसी रजामंदी विभाजन / 3189 दिनांकित 25.08.2007 में राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण की गयी 4 बीघा भूमि न अंकित करने के विरूद्व

अपीलाण्ट् की ओर से— अधिवक्ता श्री सिंकन्दर घोषी।

रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01,2,एवं 4 की ओर से — सूचना बावजूद गैर हाजिर ।

रेस्पाडेण्टस संख्या 03 की ओर सेः— अधिवक्ता श्री उगराराम उदाणी।

निर्णय दिनांकः—23/10/2024

1. यह अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार फलौदी के आदेश क्रमांक / भू.अ. / 07 / आपसी रजामंदी विभाजन / 3189 दिनांकित 25.08.2007 में राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण की गयी 4 बीघा भूमि न अंकित नहीं करने के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत की है।

2. अपीलांटगण की अपील का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है ग्राम भींयासर वर्तमान में नया राजस्व गांव जम्भसागर तहसील फलौदी के खेत खसरा संख्या 1211 रकबा 6.09 बीघा भूमि पूर्व में अपीलांट रामलाल पुत्र डेमाराम 1 / 6 हिस्सा, खमूराम, मंगलाराम पुत्र रामचन्द्र 1 / 6 हिस्सा, भागीरथराम पुत्र डेमाराम 1 / 6 हिस्सा, अपीलांट धन्नाराम पुत्र डेमाराम 1 / 6 हिस्सा , हरलाल पुत्र सुरजाराम, सोमारी पत्नि सुरजाराम 1 / 6 हिस्सा एवं रेस्पोडेन्टस संख्या 2 श्रीमति नैनी पत्नि हरजीराम 1 / 6 हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। वर्णित भूमि का दिनांक 25.08.2007 को तत्कालीन उपरोक्त खातेदारान ने खातेदारी जौत विभाजन का बंटवाड़ानामा न्यायालय तहसीलदार फलौदी के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें राज्य सरकार के पक्ष में ग्राम भींयासर के खसरा संख्या 1211 रकबा 4.00 बीघा भूमि समर्पण कर दी उक्त बंटवाड़ानामा के एग्रीमेंट में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया था कि खसरा संख्या 1211 में से 4 बीघाभूमि हम सभी खातेदारों ने संयुक्त रूप से राज्य सरकार के पक्ष में अर्पित कर दी है, शेष रही भूमि में से सभी खातेदारों ने आपसी सहमति से बंटवाडा कर लिया है। उक्त बंटवाड़ानामा दिनांकित 25.08.2007 के आधार

पर न्यायालय तहसीलदार फलौदी द्वारा आदेश क्रमांक 3189 दिनांकित 25.08.2007 द्वारा जो आदेश पारित किया गया था उस आदेश में बंटवाड़ानामा अनुसार खसरा संख्या 1211 रकबा 4 बीघा राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। उक्त आदेश के आधार पर समर्पित भूमि पुनः खातेदार के खाते में दर्ज कर दी गई है। कोई भी भूमि जो एक बार राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित कर देने के बाद पुनः खातेदार के खाते में विधि अनुसार दर्ज नहीं की जा सकती है। इसलिए अपील आपके क्षेत्राधिकार में होने से यह अपीलांट ने अपील की मियाद के अंदर क्षेत्राधिकार की होने के कारण न्यायालय में पेश की है।

3. पत्रावली जरिये अधिवक्ता श्री सिकन्दर घोषी के द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश की गई। जिसे जांच उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार फलोदी से मूल रेकर्ड एवं मौका जांच रिपोर्ट तलब किया गया, जो प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। डाक रसीदे अपीलांट अधिवक्ता द्वारा न्यायालय हाजा में पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पोडेन्टस संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता श्री उगराराम उदाणी ने वकालातनामा पेश किया। तत्पश्चात पत्रावली को बहस में रखा गया।
4. अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया। अपीलांट ने जरिए प्रार्थना पत्र बताया कि दिनांक 08.01.2023 को उक्त भूमि पर बने सरकारी ट्यूबवैल से पानी लेने गया तो रेस्पोडेन्टस ने अपीलांट को धमकी दी कि उक्त भूमि हमने विद्यालय के लिए बख्सीस की है यह ट्यूबवैल को बन्द करने और हटा देने की धमकी दी। दिनांक 09.01.2023 को तहसीलदार कार्यालय से नकले प्राप्त करने बंटवाड़ानामा दिनांक 25.08.2007 आलौच्य आदेश की जानकारी प्राप्त हुई। जो विधि विरूद्व एवं गलत जारी किया गया है। जानकारी होते ही अपील अन्दर मियाद मय धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है।
5. अधिवक्ता अपीलांटगण ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन बंटवाडा दिनांक 25.08.2007 के आधार पर तहसीलदार फलौदी द्वारा आदेश क्रमांक 3189 दिनांक 25.08.2007 को जो आदेश पारित किया गया था उस आदेश में बंटवाडानामा अनुसार खसरा संख्या 1211 रकबा 4 बीघा राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए उक्त आदेश विधिक दृष्टि से खारिज योग्य है। उक्त आदेश दिनांक 25.08.2007 के जरिये नामान्तरकरण संख्या 1731 मौजा भींयासर भरकर स्वीकृत किया गया जिसमें रेस्पोडेन्टस संख्या 02 नैनी पत्नि हरजीराम के खाते में खसरा संख्या 1211 रकबा 2.09 बीघा अंकित किया लेकिन खसरा संख्या 1211 कुल 6.09 बीघा था शेष 4 बीघा का कोई उल्लेख नहीं है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2068 से 2071 में पुनः ग्राम जम्भ सागर भींयासर के खसरा संख्या 1211 रकबा 6.09 बीघा भूमि रेस्पोडेंन्टस संख्या 02 के खाते में दर्ज कर दी गयी जबकि बंटवाडानाम दिनांक 25.08.2007 के तहत संयुक्त रूप से राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित कर दी गयी थी। समर्पित की गयी भूमि पुनः खातेदार के खाते में दर्ज करने में तहसीलदार ने कानूनी भूल की है। रेस्पोडेन्टस संख्या 02 नैनी पत्नि हरजीराम के पति की मृत्यु हो जाने पर उसने पुर्न विवाह बंशीलाल से कर लिया था । राजस्व रिकार्ड में गलत एवं भूल स्वरूप दर्ज भूमि को रेस्पोडेन्टस संख्या 02 ने जरिये बख्सीसनामा दिनांक 25.08.2007 के जरिये उक्त भूमि को आगे रेस्पोडेन्टस संख्या 03 ता 04 को हस्तांतरित कर दी तथा रेस्पोडेन्टस संख्या 3 ता 4 ने उक्त भूमि को आगे जरिये बख्सीसनामा दिनांक 18.08.2002 को रेस्पोडेन्टस संख्या 5 को हस्तान्तरित कर दी। रेस्पोडेन्टस संख्या 01 द्वारा जारी आदेश दिनांक 25.08.2007 में राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण की गयी भूमि का कोई उल्लेख नहीं करने से उक्त

आदेश विधि के प्रावधानों के विपरित होने से एवं विधि अनुसार नहीं होने से खारिज योग्य है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार फलौदी द्वारा पारित उक्त आलौच्य आदेश क्रमांक/भू.अ./07 आपसी रजामंदी विभाजन/3189 दिनांक 25.08.2007 को निरस्त कर ग्राम जम्भ सागर, भींयासर के खसरा संख्या 1211 रकबा 4 बीघा भूमि राज्य सरकार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश फरमावें। रेस्पोडेन्टस संख्या 03 के अधिवक्ता श्री उगराराम उदाणी ने बहस में बताया कि रेस्पोडेन्टस संख्या 3 व 4 को प्राप्त जरिये बख्सीसनामा 04 बीघा भूमि की 2001 से चल रही विधालय को समर्पण कर दी है। विधालय उक्त भूमि में सन् 2001 से चल रहा है। अपीलांट की अपील करीबन 17 साल देरी से पेश की है। जो मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। अपील का निर्णय पारित करने से पूर्व धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निर्णय किया जाना आज्ञापक है।

6. पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एंव तहसीलदार फलोदी द्वारा प्रस्तुत मूल बंटवाडा अवलोकन किया गया। अभिभाषकगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर विचार मनन किया गया। प्रकरण में रेस्पोडेन्टस संख्या 3 के द्वारा प्रार्थना पत्र बहस धारा 5 म्याद अधिनियम के संबध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जबकि अपीलांट द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रसंगत आदेश में ग्राम जम्भ सागर भींयासर के खसरा संख्या 1211 रकबा 4 बीघा राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण करने का कोई उल्लेख नहीं होने की जानकारी दिनांक 09.01.2023 को ली गई नकल से अवगत होना बताया एवं उसके पश्चात दिनांक 06.02.2023 को अपील प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में रेस्पोडेन्टस संख्या 03 की ओर से प्रार्थना धारा 5 मियाद अधिनियम का विरोध करते हुए तर्क किया है कि प्रकरण में मियाद का बिन्दु पहले निर्णित किया जाना चाहिए और अपीलांट को देरी के लिए दिन–प्रतिदिन देरी का कारण उल्लेख करना चाहिए। उस संबध में रेस्पोडेन्टस के विद्वान अभिभाषक द्वारा 2024 (1) आर.आर.टी. पेज 207, 2024 (1) आर.आर.टी. पेज 356, 2024 (2) आर.आर.टी. पेज 918 का उद्वरण प्रस्तुत किया है। उक्त उद्वरणों मे यह अवधारित किया गया है कि किसी भी न्यायालय के समक्ष धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र के तहत किसी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है तो उसका विधिक प्रावधानों के अनुसार निस्तारण करना आवश्यक है। इसके विपरित अभिभाषक अपीलांट का तर्क है कि तहसीलदार फलौदी द्वारा जारी अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.08.2007 को नजर अंदाज करते हुए राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण भूमि बाबत कोई अंकन नहीं किया गया है। वह आदेश प्रारम्भतः शून्य व अवैध है। प्रारम्भतः अवैध एवं शून्य आदेश को चुनौती दिए जाने के लिए विधि में कोई मियाद निर्धारित नहीं है।

जिला कलक्टर
फलोदी

7. हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध बंटवाड़ानामा शेड्यूल/ खातेदारी जोत विभाजन का एग्रीमेंट (100 रूपये के स्टाम्प पर अभिलिखित), नजरी नक्शा एवं तहसीलदार द्वारा आदेशिका पर पारित आदेश का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खसरा संख्या 1211 कुल रकबा 6.09 बीघा भूमि में से 4.00 बीघा भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण किया जाना प्रदर्शित की गई है एवं शेष भूमि का आपसी सहमति से विभाजन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा आदेशिका में आदेश पारित किया गया है कि प्रस्तुत इकरार विभाजन व नजरी नक्शा अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 53(2) के अनुसार स्वीकार किया जाता है। तदनुसार अमल दरामद किया जाने हेतु तहरीर जारी की जावें। उक्त आदेश की अनुपालना हेतु जारी किये गये पत्र क्रमांक/भू.अ./07/आपसी रजामंदी विभाजन/3189 दिनांक 25.08.2007 में राज्य सरकार के पक्ष में खसरा संख्या 1211 में से 4.00 बीघा

समर्पित भूमि का उल्लेख नहीं किया गया है। इस हद तक उक्त जारी आदेश क्रमांक /भू.अ./07/आपसी रजामंदी विभाजन/3189 दिनांक 25.08.2007 प्रारम्भतः शून्य एवं अवैध है, क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 55 के तहत भूमिधारी तहसीलदार फलौदी के समक्ष प्रस्तुत किया गया समर्पणनामा अखण्डनीय है। समर्पण सभी खातेदारों के द्वारा किया गया है एवं राज्य सरकार के पक्ष में किया गया है। ऐसी समर्पित की गई भूमि पुनः खातेदारों के पक्ष में दर्ज किया जाना प्रारम्भतः शून्य एवं अवैध प्रविष्टि है। अतः न्यायालय का अभिमत है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपील प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना न्यायसंगत है। अतः उक्तानुसार धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का सावधानीपूर्वक अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्टस संख्या 02 श्रीमति नैनी द्वारा राजस्व अभिलेख में आंशिक तौर पर उसके खाते में दर्ज की गई खसरा संख्या 1211 की 4 बीघा भूमि को दिनांक 28.07.2020 को जरिए बख्सीशनामा रेस्पोडेन्टस संख्या 03 व 04 को अन्तरित किया जाने का विलेख निष्पादित किया है। विधिक तौर पर राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित की गई 4 बीघा भूमि को राजस्व अभिलेख में अनुचित तौर पर व भूलवश की गई प्रविष्टि का लाभ उठाते हुए जरिए बख्सीशनामा अन्तरण किये जाने के लिए वह हकदार नही थी। यह विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित कर दिए गये काश्तकारी अधिकार किसी भी रूप में पुनः अर्जित नहीं होतें। अधीनस्थ न्यायालय में उपलब्ध बंटवाड़ानामे, बंटवाड़ा शेड्यूल एंव नजरी नक्शे पर रेस्पोडेन्टस संख्या 02 श्रीमति नैनीदेवी स्वयं की अगुष्ठ निशानी होने का स्वीकृत तथ्य है। ऐसी स्थिति में श्रीमति नैनी देवी द्वारा जानकारी होते हुए भी राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित भूमि अर्थात राजकीय भूमि के संबध में पुनः अन्तरण विलेख निष्पादित किया है, जो कानून की दृष्टि से शून्य है। ऐसे विलेख विलेय के आधार पर रेस्पोडेन्टस संख्या 03 व 04 को कोई अधिकार सृजित नहीं होते है।

9. रेस्पोडेन्टस संख्या 03 व 04 के द्वारा उक्त भूमि दिनांक 18.08.2022 को जरिए बख्सीसनामा रेस्पोडेन्टस संख्या 05 राजकीय प्रा.वि.ईश्वरवाल डारा पुनियों की ढाणी, भींयासर जरिए प्रधानाध्यापक श्री दयाराम मीणा अन्तरित की गई है और बख्सीसनामा दिनांक 18.08.2022 को पंजीकृत कराया गया है। यह विचारणीय है कि श्री दयाराम मीणा द्वारा सक्षम विभागीय अनुमति प्राप्त किए बिना उक्त बख्सीस स्वीकार की गई है। प्रधानाचार्य द्वारा विवादिरत भूमि की स्थिति के संबध में तथा बख्सीसकर्तागण के स्वत्व (Title) होने या नहीं होने की जांच किए बिना ही बख्सीस स्वीकार किया है। प्रकरण में विवादित भूमि राज्य सरकार के पक्ष में दर्ज किये जाने के पश्चात राजस्थान भू–राजस्व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 1963 के अनुरूप विद्यालय के नाम आवंटन की कार्यवाही अपेक्षित थी।

10. अतः उक्तानुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर खसरा संख्या 1211 रकबा 4 बीघा ग्राम भींयासर को बंटवाड़ानामा दिनांक 25.08.2007 के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित माने जाने के आदेश दिए जाते है। चूँकि विवादित भूमि पर लम्बे समय से राजकीय प्राथमिक विद्यालय का संचालन किया जा रहा है एवं उक्त भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में राजकीय प्रा.वि.ईश्वरवाल डारा पुनियों की ढाणी, भींयासर की खातेदारी में दर्ज है। अतः उक्त भूमि की कब्जे व रिकार्ड की स्थिति यथावत विद्यालय के नाम रखना उचित समझते है। उक्त भूमि वर्तमान खसरा संख्या 1359 रकबा 0.6475 हैक्टयर राजकीय प्रा.वि.ईश्वरवाल डारा पुनियों की ढाणी, भींयासर के पक्ष में विद्यालय प्रयोजनार्थ

जिला कलक्टर
फलौदी

आवंटित मानते हुए राजकीय भूमि के खाते (जिमन नं. 01) में राजस्व रिकार्ड में अन्तरित की जावें।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 23/12/2024 सरेइजलास सुनाया गया।

हरजी लाल अटल
(आई.ए.एस.)
जिला कलक्टर, फलोदी

न्यायालय जिला कलक्टर फलौदी
किस्म मुकदमाः– :–अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम
नम्बरः– 28/2024
अनवानः– रामलाल बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलौदी वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/11/2024	वकील रेस्पोडेन्टस संख्या 03 के अधिवक्ता उगराराम उदाणी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी.पी.सी. का आदेश में संशोधन करवाने हेतु पेश किया। जिस पर पत्रावली तलब कर तारीख पेशी में ली गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन निर्णय के बिन्दु संख्या 10 में प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा संख्या 1359/1211 की जगह खसरा संख्या 1359 लिखा जाना एक मानवीय भूल रही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें। निर्णय के बिन्दु संख्या 10 के पक्ति 7 जहां खसरा संख्या 1359 लिखा हुआ है के स्थान पर खसरा संख्या 1359/1211 पढ़ा जावें। उक्त आदेशिका निर्णय का भाग समझा जावें। जिला कलक्टर फलौदी	